न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 91/2024

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन
निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
श्री लियाकत अली पुत्र श्री गुलाम रसूल
जाति तेली, निवासी मार्ग नं. 2, माणक
होस्पीटल कल्याणपुरा, बाड़मेर शहर,
जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 07.10.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.10.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स मानसरोवर आईस्क्रीम, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री लियाकत अली पुत्र श्री गुलाम रसूल उपस्थित मिला। उक्त दुकान मे दूध गर्म कर खाद्य पदार्थो का निर्माण कर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो दो घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेते पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आइओसीएल) मार्क का पाया गया, [illegible] प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्र.सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	049650T	IOCL	15.500 Kg	15.500 Kg	0.000 Kg
2.	023725S	IOCL	24.100 Kg	15.800 Kg	8.300 Kg

2. मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 2 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस एजेन्सी, बाड़मेर के मैनेजर श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहूँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के स्वामित्व की दुकान मानसरोवर आईस्क्रीम स्टेशन रोड़ बाड़मेर में स्थित है तथा दुकान का गोदाम रहवासी मकान के नीचे है। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी के रहवासीय मकान के भू–तल पर दुध गर्म हो रहा था जिसमें घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं हो रहा था। बल्कि व्यावसायिक सिलेण्डर का उपयोग हो रहा था। प्रार्थी ने दुर्भावना पूर्वक विप्रार्थी के विरूद्ध गलत एवं झुठा प्रकरण बनाया है जो निरस्त योग्य है। उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू [illegible] किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक [illegible] एजेन्सी, बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी [illegible] पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड [illegible] के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी की लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:40 IST
Reason: SelfAttested

किया कि अप्रार्थी के स्वामित्व की दुकान मानसरोवर आईस्क्रीम स्टेशन रोड़ बाड़मेर में स्थित है तथा दुकान का गोदाम रहवासी मकान के नीचे है। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी के रहवासीय मकान के भू–तल पर दुध गर्म हो रहा था जिसमें घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं हो रहा था बल्कि व्यावसायिक सिलेण्डर का उपयोग हो रहा था। प्रार्थी ने दुर्भावना पूर्वक विप्रार्थी के विरूद्व गलत प्रकरण बनाया है जो निरस्त योग्य है। जबकि मौतबिरान के रूबरू मौके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग लेते हुए जब्त किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त दो गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:40 IST
Reason: SelfAttested